


FORM NO.III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम चित्तौड़गढ़ (राज.)

रतन बनाम बाबूलाल

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 70/2025

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
27.2.25	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती <u>रतन</u></p> <p>पिता श्री <u>बाबूलाल खलील</u></p> <p>निवासी- <u>नारेला (चित्तौड़गढ़)</u> तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ में ग्राम <u>नारेला (चित्तौड़गढ़)</u> स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर <u>2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2258, 2259</u></p> <p>कुल कीता <u>8</u> कुल रकबा <u>2.8200</u> है0 की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम <u>नारेला (चित्तौड़गढ़)</u> स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर <u>2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2258, 2259</u></p> <p>कुल कीता <u>8</u> रकबा <u>2.8200</u> है0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते है। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क <u>20000</u> रुपये अक्षर <u>दो हजार</u> प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्मित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  (डी. जे. जे.) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.) </p>